



# HAMIRPUR POLICE



:: रात्रि में गाड़ी का टायर पंचर होने पर गाड़ी सही करवाकर परिवार की मदद की गई::

अवगत कराना हैं आज रात्रि में थाना बिवार के उपनिरीक्षक श्री शाहजहाँ अली पुलिस टीम के साथ गस्त कर रहे थे। इसी दौरान छनि-बिवार रोड पर एक कार यूपी 91 N 4647 पंचर हालात में खड़ी थी। गाड़ी में मौजूद महिलाएं एवं बच्चों काफी परेशान लग रहे थे। थाना बिवार पुलिस द्वारा उनके पास जाकर उनकी शालीनता से उनकी बात को सुना गया उनके द्वारा बताया गया कि हम मझगवां के रहने वाले हैं मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया हैं रात्रि में कोई दुकान भी नहीं खुली है। उनकी बात सुनकर उनको मदद का भरोसा दिलाया गया। थाना बिवार पुलिस द्वारा टायर खोलकर अपनी गाड़ी से स्वयं टायर ले जाकर पंचर की दुकान खुलवाकर पंचर जुड़वाया गया। परिवार द्वारा उपनिरीक्षक शाहजहाँ अली एवं उनकी पुलिस टीम की प्रशंशा करते हुए शुक्रिया अदा किया गया साथ पुलिस टीम द्वारा उनको अपने मोबाइल नंबर से अवगत कराया और कहा कि रास्ते मे कोई भी समस्या हो हमको सूचित करें।





# HAMIRPUR POLICE



## जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त कामेन्द्र लोधी पुत्र स्व० हरीशंकर लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम हरिशंकर का डेरा मजरा पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 30.09.20 से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया था। निष्कासन के अवधि में वह जनपद की सीमा में प्रवेश न करें लेकिन उपरोक्त द्वारा जिला बदर का उल्लंघन करने पर दिनांक 17. 10. 20 को जिला बदर अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 175/2020 धारा 10 UP गुंडा एक्ट मे नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया।

### आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स०178/19

धारा -376/506ipc

2.बीट सूचना जीडी नं०- 26 दिनांक 11. 7.20

3.मु०सि०न०- 6/20

धारा -3 UP गुंडा एक्ट

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. Si श्री मो० सलीम सिद्दीकी

2. होमगार्ड मनीराम





# HAMIRPUR POLICE



**01 किलों 300 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार**  
थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मपाल उर्फ चुंटी पुत्र परमाइ लोधी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम सिकरौदा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिकासी में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

